दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

छल-कपट से 13 लाख 80 हजार रूपये हड़पने की शिकायत दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदक विवेक कुमार द्विवेदी पिता एस0एन0 द्विवेदी उम्र 54 साल निवासी डी- 301 अटल बिहार हासउसिंग बोर्ड कालोनी कोतरारोड रायगढ की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पत्र पर से अनावेदक गौतम तालुकदार उम्र 48 साल सा0 सत्तीगुडी चौक बैकुठपुर के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 933/19 धारा 406, 415, 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी तथा आरोपी सिविल ठेकेदार है तथा वर्तमान में आरोपी सिंघल पावर एनर्जी में सिविल ठेकेदारी का कार्य करता है। परिवादी पूर्व में जिंदल स्टील व पावर प्लांट कंपनी में सिविल विभाग में नौकरी करता था, किन्तु विगत दिनों मन्दी के दौर में परिवादी की नौकरी छूट गयी। जिससे परिवादी अपना परिवार चलाने के लिये आरोपी जो कि जिन्दल कंपनी का ही ठेकेदार था, परिवादी से पूर्व परिचीत होने के कारण, उसके साथ मिलकर ठेकेदारी का कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान आरोपी द्वारा परिवादी की 1380000 रू की राशि व साझेदारी में किये गये व्यापार के फायदे की राशि उसके साथ छल कपट व धोखाधडी कर हड़प लिया है, परिवाद पत्र पर से अनावेदक के विरूद्ध अपराध पंजी बद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लोन वितरण कंपनी से एक सदस्य जोड़कर 20 सदस्य का रूपये निकला, फिल्ड ऑफिसर पर धोखाघड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। हमालपारा खरसिया स्थित भारत फाईनेन्शियल इन्कुल्सन लिमिटेड कंपनी शाखा के मैनेजर कुशल यादव पिता जनकराम यादव उम्र 25 वर्ष द्वारा पुलिस चौकी खरसिया में दिये गये आवेदन पत्र पर कम्पनी के पूर्व फिल्ड अफिसर शुभम पाल सतनामी पिता प्रेमसागर सतनामी उम्र 24 वर्ष सा0 बलौदा वार्ड नं. 02 जिला जाँजगीर चाँपा के विरूद्ध अप.क्र. 447/19 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि शाखा में शुभम पाल सतनामी फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत था तथा शाखा में ब्रांच मैनेजर सुरेन्द्र साहू निवासी पामगढ थे, जिनके कार्यकाल के दौरान शुभम पाल फर्जी तरीके से एक - एक सदस्य जोड़कर 20 सदस्य बनाया तथा सदस्यों का आधार कार्ड , परिचय पत्र , एक बैंक खाता प्राप्त कर सभी का छायाप्रति लेकर छायाप्रति में कूट रचना कर कम्पनी में जमा किया और ब्रांच मैनेजर को धोखा मे रखकर ग्राहकों के नाम पता बदल कर 20 सदस्यों से कुल रकम 5,44,780/- रू. का लोन दिलाने हेतु स्वीकृति कराया। लोन के सदस्यों की जाँच करने पर फर्जी पाया गया , तब से शुभम पाल को तलाश किया जा रहा है जो घर पर नहीं है। आवेदन पत्र पर उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को शासकीय भवनों में रोशनी करने के निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभाग प्रमुखों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2019 को सभी शासकीय भवनों पर रोशनी करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवस्था पर होने वाले व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

ग्राम-पारेमेर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम-पारेमेर में 26 अक्टूबर को आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

मदिरा के लिए प्लास्टिक की बोतल और कैप प्रतिबंधित

» आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा फैलने वाले कचरे को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कैप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 01 दिसंबर 2019 से देशी मदिरा में उपयोग होने वाली प्लास्टिक बोतलों तथा विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के संबंध में आदेश आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी किया गया है। इस आदेश के पालन के लिए सभी आस्वनियों, विदेशी मदिरा भराई करने वाली यूनिटों, ब्रेवरेज कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन, समस्त जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

राशनकार्डों में त्रुटि सुधार 30 तक

रायपुर (आरएनएस)। खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्डो के डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार की कार्रवाई के लिए राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की त्रुटि रहित डेटा एंट्री का कार्य 20 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कराने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे। खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को राशनकार्ड में नाम जोड़ने, नाम त्रुटि सुधार करने, मुखिया का नाम सुधार करने, दावा आपत्ति की एंट्री पूर्ण कराने एवं अप्राप्त आवेदनों की डेटा एंट्री 30 अक्टूबर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राशनकार्डो के डेटा एंट्री एवं सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद और समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी।

जुटमिल पुलिस ने मोटर सायकल पर अवैध शराब लेकर जाते युवक को पकड़ा, आरोपी से 31 पाव शराब जप्त

» मकान में अवैध गांजा बिक्री की सूचना पर तमनार पुलिस की दबिश » तमनार, कोतवाली पुलिस ने अवैध बिक्री करते फटाकों को किया जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। विशेष अभियान के दौरान आज दिनांक 25.1.19 के दोपहर करीब 13.30 बजे चौकी जुटमिल की पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा टीव्हीएस मोटर सायकल क्र. सीजी 13 बी 6242 में आरोपी राजेश बनसदा पिता प्रेम लाल बनसदा निवासी आदर्श नगर चमडा गोदाम को थैला में 20 पाव देशी मसाला शराब, देशी प्लेन शराब 11 पाव अवैध बिक्री के लिये लेकर जाते हुये मुखबिर सूचना पर पकडे। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली (जुटमिल) में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मुखबिर सूचना पर तमनार पुलिस द्वारा कुधरीखार में रहने वाले घनश्याम पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 28 वर्ष के मकान पर दबिश दिया गया। कार्यवाही दौरान घनश्याम पटेल के घर के आंगन के नंबर में कमरे अंदर थैला में मादक पदार्थ गांजा 500 ग्राम किमती 5000 रूपये बरामद हुआ। आरोपी के विरूद्ध थाना तमनार में अप.क्र. 214/19 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।

थाना तमनार में पदस्थ सउनि लक्ष्मण पुरी गोस्वामी व हमराह स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग दौरान ग्राम चितवाही का गणेश राम सिदार पिता बालेश्वर सिदार उम्र 48 वर्ष अपने गल्ला किराना दुकान में अवैध रूप से फटाखा रखकर बिक्री करते पकड़ा गया है। आरोपी के दुकान से विभिन्न प्रकार के फटाखा किमती करीब 5335 रूपये बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

कोतवाली थाने में कार्यरत प्रधान आरक्षक नंद किशोर सारथी एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 24/10/2019 को पुराना हटरी के अंदर गली में मंजित भट्ट पिता विश्वनाथ भट्ट उम्र 28 साल को अवैध रूप से फटाके बेचते हुये पकडे, जिसके पास दो कार्टुन में फटाके कीमत करीब 12,500 रूपये का जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

खरसिया पुलिस द्वारा ग्राम छोटे देवगांव मेन रोड किनारे हनुमान मंदिर के पीछे जुआडियान 1. सूर्य प्रताप सिंह राजपूत पिता अरविंद कुमार उम्र 29 वर्ष साकिन छोटे देवगांव थाना खरसिया, 2. धनेश्वर पटेल पिता ओम प्रकाश पटेल उम्र 25 वर्ष साकिन बोतल्दा थाना खरसिया, 3. महेन्द्र पटेल पिता परमानंद पटेल उम्र 35 वर्ष साकिन आमाडोल थाना खरसिया को जुआ खेलते पकड़े जिनके पास से एवं फड़ से नगदी जुमला रकम 1480/रू. , 52 पत्ती तास, एक प्लास्टिक बोरी जप्तकिया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना खरसिया में धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल स्टाफ द्वारा दुष्कर्म के आरोपी मनोज साहू पिता श्यामलाल साहू उम्र 24 वर्ष निवासी मिट्ठुमुडा जुटमिल को पकड़ा गया है । जानकारी के अनुसार दिनांक 24.10.19 को थाना कोतवाली में युवती द्वारा मिट्ठुमुडा में रहने वाले मनोज साहू के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध तथा शादी से इंकार करने संबंधी दिये गये आवेदन पत्र आरोपी युवक के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 932/19 धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया।

आरोपी मनोज साहू निवासी मिट्ठुमुडा जुटमिल के विरूद्ध अपराध दर्ज होने की सूचना थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा चौकी प्रभारी जुटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा को दिया गया। आरोपी के फरार होने के पूर्व जूटमिल टी.आई. व स्टाफ द्वारा आरोपी के सकुनत में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पीडिता ने बताया कि दो वर्ष पहले शादी कार्यक्रम के दौरान मनोज साहू से जान परिचय हुआ था जो शादी करने का प्रस्ताव रखा, उसके बाद से अपने परिवारवालों के समक्ष अपने घर ले जाता और उनकी गैरमौजूदगी में शारीरिक संबंध बनाता। इस तरह से दो वर्ष तक मनोज शारीरिक संबंध बनाया अब शादी से इंकार कर रहा है। युवती के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

ट्रांसलेटर पदों के लिए साक्षात्कार 6 नवम्बर को

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पदों के लिए साक्षात्कार 6 नवम्बर 2019 को सवेरे 10 बजे से आयोजित किया गया है। साक्षात्कार सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कर दी गयी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पद के लिए व्यापम द्वारा कौशल परीक्षा परिणाम पश्चात आरक्षण तालिका अनुसार साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई है।

रायपुर रेल मंडल की पहली महिला अपर मंडल रेल प्रबंधक

» डॉ. दर्शनीता को सेकरसा के पदाधिकारीयों ने दी बधाई

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक पद का कार्यभार संभालने के पूर्व डॉ. दर्शनीता बी. अहलुवालिया ने रायपुर एवं बिलासपुर मंडल में कार्मिक विभाग के शाखा प्रमुख एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मुख्यालय में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थी।

डॉ. दर्शनीता बी. अहलूवालिया भारतीय रेलवे

कार्मिक सेवा की 1999 बैच की अधिकारी है एवं एम.ए, बी.एड, एल.एल.बी. एवं आईआईएम रायपुर से वर्किंग एक्जीक्यूटिव के लिए मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा पीएचडी (मानव संसाधन) उपाधि मुंबई युनिवर्सिटी से डाक्युमेंट्री फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा प्राप्त की है।

राष्ट्रीय अखण्डता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन 31 अक्टूबर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय सुरक्षा एकता और अखंडता को सशक्त कर अक्षुण्य बनाये रखने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। यह न केवल स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन पर उनके प्रति श्रद्धांजलि है बल्कि पूरे देशवासियों में अंतरनिहित दृढ़ता और देश की सुरक्षा एकता और अखंडता को पुनर्पुष्टि करता है।

इसी तारतम्य में 31 अक्टूबर को समस्त शालाओं में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राष्ट्रीय एकता के संबंध में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता के संदेश को प्रोत्साहित करने एकता दौड़ का आयोजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल विषय पर निबंध वाद-विवाद और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन एवं शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड के समस्त शिक्षा अधिकारी को शालाओं में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाये जाने संबंधी पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को अपरान्ह 4 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है, ताकि जानकारी उच्च कार्यालय को समय पर भेजा जा सके।

सड़क दुर्घटना के आहत को राइनो ने पहुचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। लैलूंगा राइनो को सोहनपुर पेट्रोल पम्प के पास रोड़ एक्सीडेंट के इवेंट पर रवाना किया गया। घटनास्थल पर भिक्षा लाल नागेशिया पिता दिनबंधु नगेसिया उम्र 25 साल निवसी ग्राम रायकेरा थाना घरघोडा अपने ससुराल तिलडेगा पत्थलगांव से वापस रायकेरा आ रहा था कि सोहनपुर पेट्रोल पम्प के पास मोटर सायकल होण्डा सीबी हॉर्नेट क्रमांक सीजी 13 व्ही 3202 का चालक सुनील कुमार मिंज मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए भिक्षा लाल नागेशिया के मोटर सायकल को एक्सीडेंट कर दिया था। आहत को लैलूंगा राइनो के आरक्षक बिरबल टोप्पो द्वारा सीएचसी लैलूंगा में ईआरवी वाहन में ले जाकर भती कराया। घटना के संबंध में आहत के पिता के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में मोटर सायकल चालक सुनील मिंज के विरूद्ध अप.क्र. 236/19 धारा 279,337 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

» खरीफवर्ष 2019-20 में एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल करने एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति प्रदान करने अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों

को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है।मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 नवम्बर से प्रारंभ किया जाना है, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। गत जुलाई माह में भी पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल किए जाने का निवेदन किया गया था एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

साथ ही राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए एम.ओ.यू. की कंडिका एक की शर्त से शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्जित होने वाले चावल (अरवा एवं उसना) को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का निर्देश संबंधितों को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा केन्द्रीय खाद्य मंत्री को भी बीते सितंबर माह में पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में खरीफ वर्ष 2019-20 में सरप्लस 32 एलएमटी चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के नगर निगम, पालिका व पंचायतों में एल्डमैनों की नियुक्ति

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीवाली में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए 150 से अधिक एल्डरमैनों की नियुक्ति संबंधित आदेश जारी कराया है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव एच.आर. दुबे ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया है। जारी आदेशा में प्रदेश के 150 से ज्यादा एल्डरमनों की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए किया गया है। इनमें रायपुर संभाग के गरियाबंद नगर पालिका के अलावा, राजिम, फिंगेश्वर, छुरा नगर पंचायतों के साथ-साथ महासमुंद नगर पालिका, तुमगांव नगर पंचायत, धमतरी नगर निगम, कुरुद नगर पंचायत, मगरलोड नगर पंचायत, नगरी नगर पंचायत, भखारा, आमदी नगर पंचायत के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की गयी है। वहीं बलौदाबाजार नगर पालिका, भाटापारा नगर पालिका, बिलाईगढ़ नगर पंचायत, कसडोल नगर पंचायत, पलारी नगर पंचायत, सिमगा नगर पंचायत, टुंड्रा, लवन, भटगांव नगर पंचायत के लिए भी नियुक्ति की गयी है। वहीं रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए नियुक्ति की गयी है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480